कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर

email- cdo1sultanpur@gmail.com
Phone No. 05362-241330

संख्या 367 / एसटी–मुविअ / 07 / 2020–21 दिनांक 31 जुलाई, 2021

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी,
सुलतानपुर।

प्रबन्धक, जी0डी0 गोयनका स्कूल, सोमनाथ सिटी फेस–1, कटावा मोड़ चुनहा, ब्लाक दूबेपुर, सुलतानपुर के आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2021 को शासनादेश संख्या–89/आरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11–01–2019 के क्रम में नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र हेतु अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुलतानपुर से निरीक्षण/सत्यापन कराया गया। उक्त आख्याओं की मूल प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक– यथोपरि।

(अतुल वत्स)
मुख्य विकास अधिकारी
सुलतानपुर।

प्रमाण–पत्र

सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के उपरांत दी गयी आख्यानुसार **जी0डी0 गोयना स्कूल, सोमनाथ सिटी फेस–1, कटावा मोड़ चुनहा, ब्लॉक–दूबेपुर, सुलतानपुर (उ0प्र0)** का भवन सामान्यतः नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के सुरक्षा मानकों का अनुपालन कर रहा है। इस भवन का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के मार्ग निर्देशन में न किये जाने के कारण भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जिम्मेदारी कालेज प्रबंधन / Ar. Trapti Jain, Design Center, S-231, School Block, Shakarpur, Delhi की होगी।

(धर्मेन्द्र कुमार अहिरवार)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
सुलतानपुर

क,

अधिशाषी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड–सुलतानपुर ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
सुलतानपुर ।

पत्रांक 560 /ग्रा0अ0वि0/एसटी/पत्रा0सं0 07–1/2021–22 दिनांक 20–7–2021

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 322/ एसटी–मुवि0अ0/07/2021–22 दिनांक 07 07.2021का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा प्रबन्धक, जी0डी0 गोयना स्कूल सोमनाथ सिटी फेस–1 कटावा मोड चुनहा ब्लाक दूबेपुर, सुलतानपुर के विद्यालय भवन को नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता से स्थलीय निरीक्षण / सत्यापन कराकर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त पत्र के क्रम में श्री प्रभात नारायण तिवारी सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड--सुलतानपुर को उक्त विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण / सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में सहायक अभियन्ता के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा अवगत कराया है कि जी0डी0 गोयना स्कूल सोमनाथ सिटी फेस–1 कटावा मोड चुनहा ब्लाक दूबेपुर, सुलतानपुर का भवन सामान्यतः नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के सुरक्षा मानको का अनुपालन कर रहा है । इस भवन का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मार्ग निर्देशन में न किये जाने के कारण भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जिम्मेदारी कालेज प्रबन्धन/Ar. Trapti Jain Design Center , S-231 School Block Shakarpur , Delhi की होगी

अतः उपरोक्त आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(आर0पी0राम),
अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड–सुलतानपुर।

मुख्य विकास अधिकारी
सुलतानपुर

4679
22/7/21

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता प्रथम
सिंचाई खण्ड, सुलतानपुर।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
सुलतानपुर।

पत्रांकः– 104 /सहा0अभि0प्र0/ई–2/ दिनांकः– 19.07. 2021।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0 320/एस0टी0/मु0वि0अ0/07/2020–21/दिनांक 07/07/2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा *जी0 डी0 गोयना स्कूल, सोमनाथ सिटी फेस–1, कटावा मोड चुनहा, ब्लाक–दूबेपुर, सुलतानपुर* के विद्यालय भवन को शासनादेश सं0 89/दिनांक 11 जनवरी 2019 के अनुक्रम में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता से स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन कराकर आख्या उपलब्ध कराने के लिये कहा गया है। उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया और पाया गया कि उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कार्य उपरोक्त शासनादेश के मानकों को पूरा कर रहा है और शैक्षणिक कार्यो हेतु उपयुक्त है।

इस विद्यालय भवन का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग के निर्देशन में न होने के कारण भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी।

अतः निरीक्षणोपरान्त आख्या आप की सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियंता प्रथम
सिंचाई खण्ड सुलतानपुर

पत्रांक /सहा0अभि0प्र0/ई–2/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, सुलतानपुर को आपके पत्र सं0 1198(A)/ सि0 ख0 सु0/जांच/दिनांक 15.07.2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियंता प्रथम
सिंचाई खण्ड सुलतानपुर

4678
22/7/21

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सुलतानपुर।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
सुलतानपुर।

संख्याः– 123 /जि0पं0कार्या0/2021–22 दिनांकः 27/7/2021

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्र संख्याः–321/एसटी–मुविअ/06/2020–21 दिनांक–07.07.2021 के क्रम में श्रीमती राखी त्रिपाठी मे0जी0डी0गोयनका स्कूल सोमनाथ सिटी फेज–1 ग्राम पलहीपुर कटावां मोड़ विकास खण्ड दूबेपुर जनपद सुलतानपुर के प्रार्थना पत्र के अनुसार श्रीमती त्रिपाठी से पत्राचार कर विद्यालय भवन के सम्बन्ध में जिला पंचायत सुलतानपुर की भवन मानिचत्र उपविधि के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर क्षेत्रीय अवर अभियन्ता के निरीक्षण एवं अभियन्ता, जिला पंचायत सुलतानपुर के अनुमोदनोंपरान्त प्रश्नगत भवन को नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप पाते हुए इस कार्यालय के पत्र संख्या–122....../जि0पं0 कार्या0/2021–22 दिनांक–27/7/21.. द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चरल प्रावधानों का अनुपालन करने के प्रतिबंध के साथ अनुज्ञा पत्र/स्वीकृति जारी की गयी है, जिसकी प्रति महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी है। तद्नुसार अवगत होने की कृपा करें।

भवदीय,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सुलतानपुर।

ST

मुख्य विकास अधिकारी सुलतानपुर

पृष्ठांकन सं0:– /जि0पं0कार्या0/2021–22 तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्रीमती राखी त्रिपाठी मे0जी0डी0गोयनका स्कूल सोमनाथ सिटी फेज–1 ग्राम पलहीपुर कटावां मोड़ विकास खण्ड दूबेपुर जनपद सुलतानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सुलतानपुर।

4864
28/7/21

कार्यालय जिला पंचायत सुलतानपुर।

अनुज्ञा–पत्र/स्वीकृति

पत्रांक: /जि0पं0सु0/मा0अनु0/2021–22 दिनांक 27/7/2021

श्रीमती राखी त्रिपाठी
पत्नी श्री क्षमा सिंधु त्रिपाठी
मे0जी0डी0गोयनका स्कूल
(सोमनाथ एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट)
सोमनाथ सिटी फेज–1 पलहीपुर
निकट कटावां रोड, सुलतानपुर।

विषयः–स्कूल भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सोमनाथ सिटी फेज–1 पलहीपुर निकट कटावा रोड, सुलतानपुर विकास क्षेत्र दूबेपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर की आराजी संख्या–959, 960, 948, 950, 956, 958, 962क, 974, 968, 975, 953 व 1020 में जी0डी0गोयनका स्कूल भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन जो कि जिला पंचायत सुलतानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, पर जिला पंचायत सुलतानपुर की आयुक्त महोदय अयोध्या मण्डल, अयोध्या की स्वीकृति के उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट में प्रकाशित उपविधि संख्या–खण्ड 74/सं0 36/भाग–3 दिनांक 12.09.2020 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जाती है:–

1.अनुज्ञा–पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी, तथा निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।

2.कोई भी व्यक्ति कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग या ठेकेदार द्वारा मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृति होने के बावजूद उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेन्स/अनापत्ति लेना आवश्यक है, अनुमति प्राप्ति का उत्तर दायित्व आवदेक का होगा।

3.प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्रित /अतिक्रमण न किया जाय।

4.जलमल की निकासी मुख्य/अन्य मार्ग पर न की जाय तथा सिवरेज/नाली का निस्तारण भवन स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

5.मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स के नियम 07 यथावत लागू रहेगें।

6.प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भवन निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरिया–5,871.84वर्गमीटर में तथा बाउन्ड्रीवाल 490.00 रनिंग मीटर में सोमनाथ सिटी फेज–1 ग्राम पलहीपुर कटावां रोड सुलतानपुर की आराजी संख्या– 959, 960, 948, 950, 956, 958, 962क, 974, 968, 975, 953 व 1020 में ही कराया जायेगा।

7.प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र की अवधि अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक ही होगी।

8.प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र की अवधि 03 वर्ष के पश्चात कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत सुलतानपुर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

9.प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र में बिना किसी पूर्व सूचना के मानचित्र/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नही किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मानचित्र में प्रस्तावित है तो जिला पंचायत सुलतानपुर से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10.प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नही माना जायेगा।

11.प्रतिबन्ध रहेगा कि कम से कम 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर 02 पेड की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।

मुख्य विकास अधिकारी

4863
28/7/21

12.मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चरल प्रावधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्नि समन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्रावधान (यदि अनिवार्य है) को स्थानीय मुख्य अग्नि समन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।

13.भूखण्ड स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।

14.प्रतिबन्ध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा उक्त विषयक निर्गत शासनादेश स्वतः प्रभावी होगें।

15.रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।

16.किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत सुलतानपुर उत्तरदायी नही होगा।

17.प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष भवन निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चरल प्रावधानो के सुरक्षा मानको के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा।

अभियन्ता
जिला पंचायत सुलतानपुर।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सुलतानपुर।

पृष्ठाकंन संख्याः 122 /जि0पं0सु0/मा0अनु0/2021-22 तद्दिनाक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-मा0अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत सुलतानपुर।

2-मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सुलतानपुर।

3-अभियन्ता, जिला पंचायत सुलतानपुर को परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

4-श्री सुनील कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता, जिला पंचायत सुलतानपुर विकास खण्ड दूबेपुर को इस आशय से कि उक्त स्वीकृति पत्र के सापेक्ष ही कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सुलतानपुर।